FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम लाखेरी

दाराचन्द बनाम सरकार

किस्म मुकदमा 128, 111 RTA नं. 48/प्रा०५/26 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20-6-24	मिसल से रिपोर्ट होकर प्रा०पत्र पेश हुआ। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलबकर पत्रावली दिनांक 28-6-24 को पेश हो।	
28-6-24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित सरकार पैरोकार तहसीलदार इन्द्रगढ़ उपस्थित। अप्रार्थी ने जवाब प्रा०पत्र प्रस्तुत नहीं कर अनापत्ति जाहिर की हस्ताक्षर आदेशिका पर करवाये गये। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया। पत्रावली फैसल शुमार हो प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)	[signature]

अस्सल
इकम की
में जारी है

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी,जिला बून्दी राज0

पीठासीन अधिकारी
श्री कैलाश चन्द गुर्जर (RAS)

48 / प्रा.पत्र / 2024
दायरा दिनांक 20.06.2024

बउनवान

दयाचन्द पुत्र केदारलाल जाति मीणा निवासी कांकरामेज तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0

—प्रार्थी

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

—अप्रार्थी

अन्तर्गत धारा 128,111 एल. आर. एक्ट
प्रार्थीगण की ओर से :— श्री महेन्द्र रेबारी
अप्रार्थी की ओर से :— पैरोकार सरकार।

दिनांक:— 28.06.2024

—:आदेश:—

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना—पत्र पेश किया गया है कि ग्राम कांकरामेज पटवार हल्का बसवाडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा संख्या 143 रकबा 0.15 है0, खसरा संख्या 459 रकबा 1.54 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.69है0 जिसके खातेदार टीनेन्ट प्रार्थी हैं एवं काबिज काश्त कारी करता चला आ रहा है। जो खातेदारी हक से दर्ज रिकॉर्ड होकर प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की है। जिसकी पत्थरगढ़ी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी ने प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की कृषि भूमि के समीप ही अन्य कृषि भूमि है जिसके कारण प्रार्थी की कृषि भूमि दबी हुई है जिसके कारण आस—पास के पडौसी खातेदार द्वारा प्रार्थी की कृषि भूमि पर कब्जा करने की संभावना है और प्रार्थी की कुछ भूमि सिकुड़ी हुई है जितनी कृषि भूमि प्रार्थी के खाते में है उतनी कृषि भूमि मौके पर नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना में वर्णित कृषि भूमि का दिनांक 05.06.2024 को सीमाज्ञान करवाया था परन्तु प्रार्थी की खातेदारी एवं व कब्जे की कृषिभूमि के पडौसी खातेदार प्रार्थी की

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बूंदी)

कृषि भूमि पर अतिक्रमण कर प्रार्थी की सीमाओं को मिटाना चाहते हैं। सीमांकन के संबंध में कोई वाद विवाद उत्पन्न न हो व प्रार्थी की कृषिभूमि सुरक्षित रहे इस कारण पत्थरगढ़ी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया– प्रार्थी उक्त आराजीयात जैर बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हें आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थी की तरफ से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। उभयपक्ष बहस समाहत पत्रावली की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। तहसीलदार इन्द्रगढ़ को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम कांकरामेज पटवार हल्का बसवाडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी कृषि भूमि खसरा संख्या 143 रकबा 0.15 है0, खसरा संख्या 459 रकबा 1.54 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.69है0 का टीनेन्ट खातेदार प्रार्थी है एवं काबिज काश्त होकर कास्त करता चला आ रहा है। जो खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थी के खातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दखल दिये नपती की जाकर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी की जावे एवं मौके पर कोई विवाद हो तो पुनः न्यायालय में पेश करें। पर्चा मौका एवं मौका ट्रेस 15 योम में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। कमिश्नर फीस 1000/– रुपये अक्षरे एक हजार रुपये प्रार्थी से वसूल किये जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 28.06.2024 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)